न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जोधपुर (ग्रामीण)
पीठासीन अधिकारी श्रीमती सीमा कविया आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. : 187 / 2023 (2023 / 234)

अपीलार्थी :–
गिरधारीराम पुत्र रतनाराम, जाति जाट, निवासी ग्राम रिया, तहसील पीपाडशहर, जिला जोधपुर हाल निवासी 49–बी, आर्टिशियन कोलोनी, मसूरिया, जोधपुर।

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–
1. माधुराम पुत्र गिरधारीराम
2. चिमनाराम पुत्र गिरधारीराम

   जातियान् जाट, निवासीगण रिया, तहसील पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।
3. नैनी पुत्री गिरधारीराम, पत्नी भूराराम, जाति जाट, निवासी जालखा, तहसील पीपाड शहर, जिला जोधपुर।
4. तहसीलदार बिलाड़ा, जिला जोधपुर।
5. तहसीलदार पीपाड़ शहर, जिला जोधपुर।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 1840 ग्राम रिया जो दिनांक 10.12.2010 को नायब तहसीलदार (प्रथम) बिलाड़ा द्वारा स्वीकार किया गया।

————

उपस्थिति :–
1. अधिवक्ता श्री ऋषभ तायल व जितेन्द्र चौधरी (अपीलार्थी)।
2. प्रत्यर्थीगण नोटिस तामिल बावजूद अनुपस्थित।

–: आदेश :– दिनांक :– 22.04.2024

अपीलार्थीगण ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 नामान्तरकरण संख्या 1840 ग्राम रिया जो दिनांक 10.12. 2010 को नायब तहसीलदार (प्रथम) बिलाड़ा द्वारा स्वीकार किया गया, के विरूद्ध पेश की है। जिसके संक्षि[illegible] इस प्रकार है कि अपीलार्थी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:33:24 IST
Reason: SelfAttested

खातेदारी कब्जा काश्त कृषि भूमि खसरा संख्या 236 रकबा 31 बीघा 08 बिस्वा एकल खातेदारी तथा खसरा संख्या 1247 रकबा 04 बीघा, खसरा संख्या 1248 रकबा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 1249 रकबा 01 बीघा 18 बिस्वा, खसरा संख्या 1250 रकबा 01 बीघा 12 बिस्वा, खसरा संख्या 1251 रकबा 15 बिस्वा, खसरा संख्या 1252 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 1253 रकबा 01 बीघा 08 बिस्वा, खसरा संख्या 1254 रकबा 01 बिस्वा, खसरा संख्या 1255 रकबा 03 बिस्वा, खसरा संख्या 1256 रकबा 04 बिस्वा, खसरा 1257 रकबा 01 बीघा 14 बिस्वा, खसरा संख्या 1258 रकबा 04 बिस्वा, खसरा संख्या 1259 रकबा 01 बीघा 03 बिस्वा, खसरा 1260 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा, कुल खसरान् 14 कुल रकबा 18 बीघा 02 बिस्वा कृषि भूमि ग्राम रिया, पटवार क्षेत्र रियां, तहसील बिलाड़ा (वर्तमान तहसील पीपाड़ शहर) में आई हुई है। अपीलार्थी के जीवित रहते हुए भी उसे मृत बताकर प्रत्यथी संख्या 1 से 3 के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया, जिससे व्यथीत होकर यह अपील पेश की है।

अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये, जो प्रत्यर्थीगण को विधिवत् तामील हुए। प्रकरण से संबंधित मूल रिकॉर्ड तहसीलदार पीपाड़ शहर से तलब किया गया। प्रकरण में मूल रिकॉर्ड प्राप्त होने पर अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस दिनांक 26.03.2024 को सुनी जाकर पत्रावली दिनाांक 22.04.2024 को आदेश हेतु रखी गई।

प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में बतलाया कि प्रार्थी 90 वर्षीय बुजुर्ग एवं अनपढ़ व्यक्ति है तथा वर्तमान में अपने पुत्रों के साथ जोधपुर शहर में निवास करता है। अभी हाल ही में जमाबंदी की आवश्यकता होने पर पटवारी हल्का से नकल प्राप्त करने हेतु गये तो हल्का पटवारी ने बताया कि आपका नाम राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है, तब प्रार्थी ने अधिवक्ता के द्वारा आलौच्य नामान्तरकरण की नकल हेतु आवेदन किया। अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 12.02.2021 को नामान्तरकरण की नकल प्राप्त होने पर हुई। अपीलार्थी ने अपीलाधीन नामान्तरकरण की सर्वप्रथम जानकारी तिथि से अपील अन्दर म्याद पेश कर दी। अंत में अपील पेश करने में जो देरी हुई है [illegible] व सद्भाविक होने से प्रार्थी का

Signature Not Verified
Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:33:24 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थना–पत्र स्वीकार कर अपील में हुए विलम्ब को माफ करने की प्रार्थना की।

अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने गुणावगुण बहस में बतलाया कि ग्राम रियां के खसरा संख्या 236 की भूमि अपीलार्थी के एकल खातेदारी की तथा ग्राम रियां के खसरा संख्या 1247 से 1260 की भूमि अपीलार्थी की शेष खातेदारी में चली आ रही थी, जिस पर अपीलार्थी का आज दिन तक कब्जा–काश्त चला आ रहा है। अपीलार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गिरधारीराम पुत्र रतनाराम है जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पिताजी का नाम गिरधारीराम पुत्र प्रभुराम है, जो कि अपीलार्थी के साथ खसरा संख्या 1247 से 1260 की संयुक्त खातेदारी में सहखातेदार था। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पिता के फौत होने पर प्रत्यर्थीगण द्वारा फौतेदगी नामान्तरकरण की कार्यवाही की गई, जिसमें अपीलार्थी गिरधारीराम पुत्र रतनाराम के जीवित होते हुए भी अपीलार्थी का फौतेदगी नामान्तरकरण प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर दिया जबकि अपीलार्थी जिंदा था तथा प्रत्यर्थी 1 से 3 उसके वारिसान नहीं है।

अपीलार्थी ने बहस में आगे बतलाया कि राजस्व कर्मचारियों द्वारा बिना जांच किये अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत किया गया। प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पिता गिरधारीराम पुत्र प्रभुराम का स्वर्गवास हो गया, फिर भी गिरधारीराम पुत्र प्रभुराम का नाम राजस्व रिकॉर्ड में खसरा संख्या 1247 से 1260 के बाबत् बदस्तूर चला आ रहा है। अपीलार्थी गिरधारीराम पुत्र रतनाराम आज भी जीवित है, जिसका नाम विलोपित कर अपीलार्थी के स्थान पर प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के नाम आलौच्य नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया जो अपास्त योग्य है।

हमने अपीलार्थी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का भी अवलोकन किया। अपील का निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थना–पत्र बाबत् धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र में अपील पेश करने में जो देरी के कारण बतलाए गए है जो सद्भाविक होने से प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:33:24 IST
Reason: SelfAttested

अपील का गुणावगुण पर निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में यह तथ्य निर्विवादित है कि अपीलार्थी गिरधारीराम पुत्र रतनाराम जिसके एकल खातेदारी भूमि खसरा संख्या 236 रकबा 31 बीघा 08 बिस्वा ग्राम रियां में स्थित है इसके अलावा अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 के पिता गिरधारीराम पुत्र प्रभुराम व अन्य की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1247 से 1260 ग्राम रियां में आई हुई है। गिरधारीराम पुत्र प्रभुराम के फौत होने पर हल्का पटवारी द्वारा गिरधारीराम पुत्र रतनाराम को फौत बताकर गिरधारीराम पुत्र प्रभुराम के वारिसानों के नाम अपीलाधीन नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया जो न्यायोचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1840 ग्राम रिया जो दिनांक 10.12.2010 को नायब तहसीलदार (प्रथम) बिलाड़ा द्वारा स्वीकार किया गया, को निरस्त किया जाता है। मूल नामान्तरकरण अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति के साथ भिजवाया जावे।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

आदेश आज दिनांक 22.04.2024 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सीमा कविया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
जोधपुर (ग्रामीण)

Signature Not Verified

Digitally signed by Seema Kavia
Date: 2024.05.24 18:33:24 IST
Reason: SelfAttested